

निरीक्षण समिति द्वारा उक्त संस्थान में नियुक्त फैकल्टी का भी अनुमोदन किया गया है, जिसका अनुमोदन प्रमाण—पत्र भी संलग्न किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति की निरीक्षण आख्या, फैकल्टी अनुमोदन प्रमाण—पत्र, एन्टी रैगिंग प्रमाण—पत्र तथा संस्थान से सम्बन्धित वांछित अन्य अभिलेखों की प्रतियां प्रस्ताव के साथ संलग्न कर राजभवन सचिवालय एवं तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जा रही हैं।

उक्त संस्थान के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव राजभवन सचिवालय के आदेश पत्र सं0— 5355 / जी0एस0 / शिक्षा / ए4—135 / 2016, दिनांक 18 मार्च, 2016 के अनुपालन में मा० कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त राजभवन सचिवालय एवं तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अग्रसारित किया जा रहा है।


अतः अनुरोध है कि कृपया 'ज्ञानी इन्डर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डायवर्जन रोड, नियर मालसी डियर पार्क, पोस्ट—सिनोला, देहरादून' को एआईसीटीई के मान्यता—पत्र तथा विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर शैक्षिक सत्र 2016—17 हेतु उपरोक्त फार्मेसी पाठ्यक्रमों में उनके समुख अंकित सीटों के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

कृते कुलसचिव।

प्रतिलिपि— उप सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कृते कुलसचिव।

Deputy Registrar
Uttarakhand Technical University
Shradan

